न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – /2022 (Bank Case)

एक्सिस बैंक लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइगं मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई– 400025, ब्रांच ऑफिस जी– 9, महिमा मॉल, स्वेज फार्म जयपुर, जर्ये प्राधिकृत अधिकारी, पुनीत माथुर

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मेघ श्री ट्रैडर्स
   पता– ब्लॉक ए–बी शॉप नं. 3 मण्डी यार्ड बारां 325205 (ऋणी)

2. श्री ओम प्रकाश पुत्र आन्नदी लाल
   पता– 13, आजाद कॉलोनी समासपुर रोड गांव लिसादिया सिटी बारां –325205 (सहऋणी)

3. चतुरर्भुज वर्मा
   पता– 111, पारीक के पीछे वार्ड नं. 529 तहसील व जिला बारां (सहऋणी एवं मौर्गेजर)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 4/10/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक्सिस बैंक लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइगं मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्वकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई– 400025, ब्रांच ऑफिस जी– 9, महिमा मॉल, स्वेज फार्म जयपुर, जर्ये प्राधिकृत अधिकारी, पुनीत माथुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 20 सितम्बर 2017 को 12,50,000/– रूपये (अक्षरे बारह लाख पचास हजार रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **शॉप नं. 3 मण्डी परिसर कृषि उपज मण्डी समिति, बारां, जिसका कुल क्षेत्रफल 395 वर्ग फीट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में शॉप नं. 2 , पश्चिम मे शॉप नं. 4 , [illegible] शॉप नं. 35, दक्षिण में रोड 60 फीट है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवी [illegible] था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का [illegible] के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक [illegible]03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 13,22,637/– [illegible] तेरह लाख बाइस हजार छः सौ सैतीस रूपये) बकाया राशि दिनांक 17.04.2021 तक शेष देय है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट बारां

दिनांक 18.04.2021 से आगे का ब्याज व मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में ''बिजनेस स्टैंडर्ड'' में दिनांक 18.05.2021 व अंग्रेजी में ''बिजनेस स्टैंडर्ड'' में दिनांक 18.05.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया, एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **की अचल सम्पत्ति शॉप नं. 3 मण्डी परिसर कृषि उपज मण्डी समिति, बारां, जिसका कुल क्षेत्रफल 395 वर्ग फीट है, एवं चतुर्थ सीमा– पूर्व में शॉप नं. 2 , पश्चिम में शॉप नं. 4 , उत्तर में शॉप नं. 35, दक्षिण में रोड 60 फीट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 4/10/22 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां